मूल वाद संख्या 2019 / 045

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

सावित्री व अन्य बनाम रुकमा व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 028 / 2019

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
27.05.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रारम्भिक स्तर पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी. जिससे सन्तुष्ट होकर प्रारम्भिक स्तर पर आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, आगामी तिथि तक, चक 2 ई छोटी (बड़ी - 28/5/19) तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43 / 36 मुरबा न0 32,33,46,47 में कुल तादादी 11.904 हैक्टेयर नहरी मय खाल में से अप्रार्थी सं0 1 के नाम से 1.000 है0 कृषि भूमि के रिकार्ड अभिलेखों की स्थिति यथावत कायम रखें। अनावेदकगण की तलबी हेतु पंजीकृत नोटिस जारी हो. नोटिस के पंजीबद्व नहीं करवाये जाने एवं अनावेदक द्वारा उपस्थित आने पर यदि आवेदक बहस हेतु उपस्थित नहीं आने के परिणामतः प्रारम्भिक स्तर पर जारी किये जा रहे आदेश स्वतः ही निरस्त किये जा सकेंगे. पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12 जुन 2019 को पेश हो. Sd/- **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** **श्रीगंगानगर**	4987 27/5/19
28/5/19	अधि० वादी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का जो विवरण दिया गया है उसमें सहवन से चक 2 ई बड़ी के स्थान पर सहवन से चक 2 ई छोटी दर्ज हो गया, अभी प्रतिवादीगण की तलबी होना शेष है पत्रावली का [illegible] चक 2 ई छोटी की जगह चक 2 ई [illegible] जाता है प्रा० पत्र व [illegible] 2 ई छोटी के स्थान [illegible] लाल स्याही से अंकित [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/6/19 को पेश हो। Sd/- मुकेश बारेठ R.A.S सहायक कलक्टर (FT) श्रीगंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:18:26 IST
Reason: SelfAttested

07/05/25

अधिवक्ता प्रार्थी उप॰ नहीं। पत्रावली
[illegible] है अप्रार्थी सं. 172
कोनी लगातार [illegible] से विचाराधीन चली आ रही
की तलबी हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को
हो न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी को आवाजें लगाये जाने पर
बार-2 [illegible] [illegible] आवाजें लगाये जाने पर
की वकील प्रार्थी उप॰ नहीं। अतः वि॰ प्रा॰ पत्र
212 RTA दि. 28/2019, आगामी सारिणी
अन्य [illegible] [illegible] व अन्य वकील प्रार्थी की
[illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] में खारिज की
जाती है। पत्रावली नतीजा [illegible] हो पत्रावली
[illegible] के [illegible] की जाकर नि॰ वि॰ की
दफ्तर के दाखिल हो।